

Form No.III

फर्द अहकाम

नियम 20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

उनवान **दशरथ सिंह वगैरे बनाम शिवराज वगैरे स्वराज वगैरे**
 प्रार्थना पत्र संख्या **17/2024**
 धारा अन्तर्गत **212 RTA Act**
 दायरा तिथि **29-10-24**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
29/10/24	<p>प्रार्थना पत्र जयें श्री वीरेंद्र सिंह अधिवक्ता के द्वारा पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये जाने योग्य है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी/अप्रार्थीगण की तलवी करवाई जाकर पत्रावली दिनांक 2-12-24 को पेश हो।</p>	
2/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील जयेंद्र उमप पत्रावली वाले क्विरोटि स्काल में दिनांक 07-01-2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अंजना सहरावल उपखण्ड अधिकारी मांगरोल</p>	
07/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उमप पद्म उमप अडावली कम 01 सि ओर से वकील श्री दयाकृष्ण धाकड द्वारा कालतमामा पेश किया जो दाने के साथ शा. का किया। साथ ही जवाब डायरना पत्र मय दस्तावेज पेश किए जो शा. का किए पत्रावली वाले अदन डा. पत्र स्व रिपोर्टे स्काल में दिनांक 29-01-25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अंजना सहरावल उपखण्ड अधिकारी मांगरोल</p>	

वकीलों द्वारा कालतमामा को स्वयं
 किया गया। पत्रावली पेश दिनांक ...
 को पेश हुआ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर अदालत हुक्म की में जारी हुए
29 ¹ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षावत 39.। पत्रावली वाले रिपोर्ट लटकाए में दिनांक 28-3-2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अंजना सहरावत उपखण्ड अधिकारी मंगरोल</p>	
28 ³ / ₂₅	<p>वकीलों द्वारा कस्टोडियन कर काम स्थगित किया गया। पत्रावली पूर्ववत् दिनांक 27-3-25 को पेश हो।</p>	
27 ⁵ / ₂₅	<p>वकीलों द्वारा कस्टोडियन कर काम स्थगित किया गया। पत्रावली पूर्ववत् दिनांक 27-3-25 को पेश हो।</p>	
11 ⁷ / ₂₅	<p>पीएसएम अधिकारी अवकाश/राजकार्य/चुनाव कार्य COBT work postpone में व्यस्त है। पत्रावली पूर्ववत् दिनांक 9-3-25 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मंगरोल जिला</p>	
12 ⁹ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्राधी अनु- सूक्ति छकरण से संबंधित मूल वाद अप्र हाजरी अप्र पेशी में खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में न्यायालय इस्त पत्रावली को आगे जैरुदा रचना उचित नही समझता है। अतः पत्रावली को खारिज किया जाता है। पत्रावली फेशल शुमार होकर नम्बर से कम ही जावे। निर्णय आज दिनांक 12.09.2025 को शेरे इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(सौरभ भांगु) उपखण्ड अधिकारी</p>	